फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ, जिला जयपुर ग्रामीण

हरि बनाम सरकार

मा नं0 :— 336 / 2024

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
11.03.2025	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। पत्रावली आदेश में विचाराधीन है। पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा वकील प्रार्थी की बहस का मनन किया गया। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दूओं को दौहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि के नवीन खसरा नम्बर 358 रकबा 0.4300है0 ग्राम दौलतपुरा तहसील आंधी जिला जयपुर में स्थित है। जिस पर प्रार्थी काबिज काश्त चला आ रहा है तथा वर्तमान में भी काबिज है तथा काश्त कर रहा है। सेटलमेंट के बाद बने नक्शे अनुसार प्रार्थी मौके पर काश्त कर रहा है लेकिन वर्तमान राजस्व नवीन नक्शा छोटा करते हुये तथा उत्तर की तरफ लाईन खिचते हुये सेटलमेंट के बाद बने नक्शे से भिन्न नक्शा बनाते हुये अंकित कर दिया है जबकि प्रार्थी सेटलमेंट के बाद बने नक्शे अनुसार प्रार्थी मौके पर काबिज काश्त है तथा खेती का कार्य कर रहे है लेकिन जो वर्तमान नक्शा कायम किया गया है वह बिना सेटलमेंट के बाद बने नक्शें को मिलान किये व बिना मौके की जॉच किये बनाया गया है व बिना प्रार्थी के पूछताछ किये बनाया गया जो कि छोटा बनाया गया है तथा रकबा कम करते हुये कायम किया गया है। जिस कारण वर्तमान नवीन नक्शे के अनुसार प्रार्थी की भूमि मौके पर नापझोक करने पर कम पडती है जबकि सेटलमेंट के दौराने बने नक्शें के अनुसार नापझोक करने पर सही आती है। जिससे साफ प्रतीत होता है कि प्रार्थी की भूमि का नक्शा कम करके कायम किया गया है। अतः उक्त खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 358 रकबा 0.4300है0 के नक्शें को सेटलमेंट दौरान बनाये गये नक्शें अनुसार व रिकार्ड में, दर्ज रकबे के अनुसार दुरूस्त करने के आदेश दिये जावें। पत्रावली में पैरोकार सरकार (तहसीलदार आंधी) ने अपनी रिपोर्ट में अवगत कराया कि उक्त वादग्रस्त भूमि के संबंध में माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ के मु0नं0 139 / 2019 उनवान मूलचन्द बनाम सरकार वगै0 में पारित निर्णय दिनांक 16.09.2022 से ग्राम दौलतपुरा के वर्तमान नक्शें में खसरा नम्बर 359 को सेटलमेंट की पूर्व स्थिति अनुसार करने का निर्णय हुआ था। जिसकी पालना में तत्कालीन राजस्व कर्मचारियों ने वर्तमान नक्शाशीट (ऑनलाईन) नक्शा शीट मे दुरूस्ती की कार्यवाही की गई थी। अतः पत्रावली का अवलोकन करने व बहस का मनन करने पर पाया कि प्रकरण में खसरा नम्बर 359 की दुरूस्ती न्यायालय हाजा द्वारा मु0नं0 139 / 2019 उनवान मूलचन्द बनाम सरकार वगै0 में पारित निर्णय दिनांक 16.09.2022 द्वारा की गई। जिसके संबंध मे केवल अपील कर ही अनुतोष प्राप्त किया जा सकता है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132, सपठित धारा 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम को खारिज किया जाता है। निर्णय आज सरे इजलाश सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर दाखिल हों। उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ जिला-जयपुर	